न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 13/2016 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2016/01230

उनवान

1. श्रीमती मानकी पुत्री हीरा पत्नि वेला मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा, हाल बामनतलाई (खरका), तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती पुनमी पत्नि लोगर मीणा उम्र बालिग निवासी नाडमंगरी रतनपुरा
2. श्री हिरा पिता धन्ना वीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
3. श्री पालिया पिता मेगा मीणा आयु बालिग बालिग निवासी रतनपुरा
4. श्री रामे मेगा मीणा रायु कालिंग निवासी रतनपुरा
5. श्री धुला पिता मेगा सणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
6. श्री भेरा पिता परथा मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
7. माला पिता धन्ना मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
8. श्री पुंजा पिता धन्ना मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
9. श्री केसा पिता धन्ना मीणा जेषु बालिग निवासी रतनपुरा
10. श्री भेरा पिता गोजिम सोणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
11. श्री पेमा पिता गोतम मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
12. श्रीमती लिम्बडी पत्नि गोतम मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
13. श्री नोजा पिता रोडीया मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
14. श्री गोमला पिता अमरा मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
15. श्री लोगर पिता केसा मीणा आयु बालिग निवासी नाडमंगरी रतनपुरा
16. श्री नन्द पिता हेमा मीणा आयु बालिग निवासी रतनपुरा
17. तहसीलदार जरिये भूमिधारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 25/05/2026

उपस्थितिः श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता – प्रार्थीया
श्री महेन्द्रसिंह चौहान अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 4 से 8, 11 से 13
श्री चन्द्रशेखर मेहता अधिवक्ता –विपक्षी संख्या 1, 2, 9, 15
विपक्षी संख्या 3, 10, 16– एकपक्षीय

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 2 हीरा की एकमात्र जीवित पुत्री एवं वैधानिक वारिस है तथा विवादित कृषि भूमि मौजा रतनपुरा, पंचायत ईडाणा, तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 94 पुराना 87 कुल किता 75 कुल रकबा 9.46 हैक्टेयर व

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

खाता संख्या 182 कुल किता 5 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो मौरूसी एवं पैतृक संपत्ति है। उक्त भूमि पूर्वजों से चली आ रही संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है, जिसमें प्रार्थीया का भी वैधानिक अधिकार एवं हिस्सा बनता है। प्रार्थीया के अनुसार उसके पिता वृद्ध एवं अशक्त हैं तथा उनकी देखभाल, सेवा एवं खेती का कार्य वही करती है।

प्रार्थीया के चचेरे भाई लोगर एवं नन्दा ने उसके पिता को डरा–धमकाकर तथा बहला–फुसलाकर दिनांक 22–12–2015 को उप–पंजीयक कार्यालय गींगला में विवादित भूमि का विक्रयपत्र श्रीमती पुनमी के नाम निष्पादित करवा लिया। प्रार्थीया को इस विक्रय की जानकारी बाद में हुई, जब वह अपने ससुराल से वापस रतनपुरा आई। उसने कहा कि उसके माता–पिता ने भी स्वीकार किया कि भय एवं दबाव के कारण उन्हें रजिस्ट्री करनी पड़ी। प्रार्थीया का कहना है कि यह भूमि मौरूसी संपत्ति होने के कारण बिना उसकी सहमति के विक्रय नहीं की जा सकती थी तथा उसे उसके वैधानिक हिस्से से वंचित करने के उद्देश्य से यह विक्रयपत्र कराया गया है। यदि नामांतरण कर दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी, इसलिए सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। प्रार्थीया ने न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं अपने हिस्से के अधिकार हेतु मूल वाद प्रस्तुत किया है।

अतः निवेदन है कि जब तक वाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विपक्षियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण न खोला जाए और न ही भूमि के रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन किया जाए। इस बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष मे एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व 15 के विरूद्ध जारि की जावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 3, 10, 16 के गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1, 2, 9, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर मेहता हाजिर रहे। विपक्षी संख्या 1, 2, 9, 15 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 02–02–2026 को उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 14 के खिलाफ प्रार्थीया कोई अनुतोष नही चाहा है इसलिये आदेशिका दिनांक 20–05–2025 को प्रार्थीया के निवेदन पर तामील से छुट प्रदान की गई।

विपक्षी संख्या 4 से 8 व 11 से 13 तक ने जवाब पेश कर प्रार्थनापत्र के अधिकांश तथ्यों को स्वीकार किया। विपक्षीगण ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वादी एवं विपक्षी संख्या 2 के मध्य पिता–पुत्री का संबंध है तथा वादपत्र में वर्णित खाते, आराजी नंबर एवं भूमि का विवरण सही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विवादित आराजीयात मौरूसी/पैतृक संपत्ति है तथा वादपत्र में वर्णित परिवार का सजरा सही है। विपक्षीगण ने प्रार्थनापत्र की क्रम संख्या 5 एवं 6 में वर्णित तथ्यों को भी सत्य एवं सही मानते हुए स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वादी अपने हक एवं हिस्से की भूमि की अधिकारिणी है। जवाब में विशेष रूप से यह कहा गया है कि यदि वादी के हिस्से की भूमि के संबंध में रजिस्ट्री को निरस्त कर उसके नाम नामांतरण खोला जाता है तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति या एतराज नहीं है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व 15 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारि किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण बहस मे मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष का पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का कथन है कि वह विपक्षी संख्या 2 की पुत्री एवं वैधानिक वारिस है तथा दिनांक 22.12.2015 को कथित दबाव एवं प्रभाव में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया, जिससे उसके अधिकारों का हनन हुआ है। विपक्षीगण में से कुछ द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीया के अधिकार एवं भूमि की पैतृक प्रकृति को स्वीकार किया गया है, जबकि अन्य विपक्षीगण की ओर से कोई प्रभावी विरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पैतृक प्रकृति की है तथा प्रार्थीया का उसमें हित बनता है। यदि नामांतरण या राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रार्थीया के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और वाद का उद्देश्य निष्फल हो सकता है। अतः न्यायालय का मत है कि सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति की संभावना भी विद्यमान है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1, 2 व 15 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारि की जाती है कि वे विवादित कृषि भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का नामांतरण, विक्रय, हस्तांतरण अथवा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नहीं करे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 1, 2 व 15 तक का मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। उपभयपक्ष मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 25/05/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर